सहायक कलक्टर (मु०) सीकर बनाम दुर्गा कोठ
श्रीमती लाल 97/2007

किया कि इस प्रमाण से संबंधित मूल
राशन कार्ड संख्या 107/07 दिनांक 21-4-2016
से जारी किया गया है।
प्रार्थी के कथन अनुसार इसके
कार्ड में भी चलाना नहीं चाहते
हैं। अतः जारी मूल कार्ड / डुप्लि
केट कार्ड होने के कारण इस प्रार्थना
पत्र अपील निरस्त की जाने
में कोई आपत्ति नहीं है। एतदनुसार
अधिवक्ता प्रार्थी के अनुरोध पर
प्रार्थना पत्र अपील निरस्त प्रार्थी
नोट प्रूफ के जारी किया जाता है।
पराकर्ती फोटो सुधार होकर
अपने दावे अंकित कर दें।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 13/9/2016 को
सार्वजनिक अदालत के मध्य सीकर
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर